

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

ना नंबर दावा / 52 / 2010

तारीख रजु 24.05.2010

उनवान

सुरेश पुत्र श्री पूरन वगै० जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन जिला  
करौली

---वादीगण 03

बनाम

पूरन पुत्र श्री परसादी वगै० जाति जाट निवासी क्यारदा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली

----प्रतिवादीगण 20

थति:-

वादी की ओर से :- एस.एल.चौधरी एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं


निर्णय

दिनांक 07.09.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन् एक दावा  
ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन का दावा बावत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी  
पाना का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी  
वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हैं।  
नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा 52/2010 सुरेश बनाम पूरन नोट प्रेस में  
ज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
07.09.2020  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

